New Man International Journal of Multidisciplinary Studies
(UGC Approved Journal No. 45886)
ISSN: 2348-1390
Impact Factor: 4.321 (IIJIF)

19.

आधुनिक भारतीय शिक्षा का विकास

संतोष कुमार मिश्र, **डॉ. विभा दूर्वार**

प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि भारत में आधुनिक षिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। जैसा कि हम जानते है कि विकास की प्रक्रिया क्रमिक एवं अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, इस लिए भारतीय आधुनिक षिक्षा का विकास भी क्रमिक रूप से विभिन्न चरणों में हुआ। भारतीय षिक्षा आज भी निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है, जिसके लिए केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्यों के सरकारें, एवं स्थानीय प्रषासन विषेष रूप से प्रयासरत हैं।

कुंजी शब्द– *षिक्षा, आधुनिक, भारतीय, विकास*

प्रस्तावना– षिक्षा, मानवीय जीवन का अभिन्न भाग है। षिक्षा, मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। षिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण करती है, एवं चरित्र को उत्कृष्ट बनाती है। षिक्षा व्यक्ति के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्विक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली क्रिया है। षिक्षा का अर्थ उन सभी अनुभवों से है जो मनुष्य विभिन्न परिस्थितियों में अर्जित करता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि व्यक्ति के जीवन में षिक्षा ऐसे परिवर्तन लाती है, जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता के तरफ अग्रसर होता है।

षिक्षा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास हेतु निष्चित रूप से अपरिहार्य है। किसी भी देष, समाज व परिवार की उन्नति, तथा आदर्ष सम्य समाज के निर्माण के लिए षिक्षा का सम्बर्धन परम आवष्यक है। प्राचीनकाल में षिक्षा का स्तर चरमोत्कर्ष पर था, इसी कारण भारत विष्व गुरू के अलंकारिक विषेषण से सुषोभित था। इसकी प्रमाणिकता हमें प्राचीन वेदों, पुराणों, उपनिषदों, वेदान्त, दर्षनों तथा वैज्ञानिक खोज द्वारा पुष्ट होते है। कालान्तर में मध्य कालीन भारत में विदेषी आक्रांताओं द्वारा आक्रमण करके, भारत में विदेषी राजनीतिक सत्ता के स्थापना के कारण भारत के प्राचीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था को तहस–नहस कर दिया गया। विदेषी शासकों के दमनकारी नीतियों के वजह से भारतीय षिक्षा व्यवस्था पर गहरा कुठाराघात किया गया जिसके परिणाम स्वरूप षिक्षा स्तर अपने न्यूनतम पायदान पर पहुंच गया और भारत शैक्षणिक अंधकार मे आवद्व हो गया। भारतीय समाज पतनोन्मुख मार्ग पर अग्रसर होता चला गया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज संकुचित समाज में परिवर्तित हो गया तथा समाज में अनेक बुराईयों जैसे– छुआ–छूत, गरीबी, ऊँच–नीच, दासता, धार्मिक उन्माद, जातिवाद–सम्प्रदायवाद, बालविवाह, सतीप्रथा इत्यादि के दुष्चक्र में उलझता चला गया। आधुनिक युग में भारतीय समाज में व्याप्त शैक्षणिक अंधकार, जो मध्यकालीन भारतीय समाज की पहचान बन चुकी थी, को दूर करने का अथक प्रयास भारतीय शैक्षिक दार्षनिकी समाज सेवकों, बुद्वजिवियों तथा ब्रिटिष सरकार द्वारा शैक्षणिक विकास की प्रक्रिया शुरू करके किया गया।

शोध के उद्देष्य– प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त करनी है कि आधुनिक भारतीय षिक्षा का विकास का क्रम क्या है। यह किन–किन परिस्थितियों से गुजरती हुई अपने विकास के वर्तमान स्तर तक पहुंची।

शोध पद्वति– प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितियक आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा। विभिन्न षिक्षा आयोगों के रिपोर्टों के सार बिन्दुओं का समावेष किया जाएगा। भारतीय षिक्षा के विकास से संबंधित विभिन्न लेखकों के साहित्य का पुनर्रालोकन किया जाएगा।

प्राकल्पना– आधुनिक भारतीय षिक्षा का विकास की गति धीमी तथा निरंतर थी। आधुनिक भारतीय षिक्षा विकास क्रमिक रूप से कई चरणों में हुआ।

आधुनिक भारतीय षिक्षा का विकास

आधुनिक भारतीय षिक्षा का विकास का श्री गणेष (प्रांरभ) औपनिवेषिक ब्रिटिष शासन के दौरान शुरू हुआ। भारतीय षिक्षा के उत्थान के लिए आधुनिक युग में सर्वप्रथम प्रयास करने वाले लोगों में राजाराम मोहनराय, दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविन्द रनाडे, ईष्वरचन्द, विद्यासागर, ज्योतिवा फुले, गोपालकृष्ण गोखले, वी.डी.कर्वो, गोपालहरि देषमुख, महात्मा गांधी, डॉ0 एस. राधाकृष्णन इत्यादि प्रमुख रूप से थे। ब्रिटिष औपनिवेषिक सरकार ने भी अपने स्वार्थ सिद्वि के लिए भारतीय षिक्षा प्रणाली में सुधार करने का प्रयास किया। विभिन्न आयोगों के गठन तथा आयोगों के रिपोर्टों के आधार पर षिक्षा के उत्थान के लिए समुचित उपायों का कार्यान्वयन किया गया। अंग्रेज भारतीयों को इस लिए षिक्षित करना चाहते थे क्योंकि वे निम्न प्रषासनिक स्तर के कार्य भारतीयों से करवाना चाहते थे जिससे शासन व्यवस्था का कार्य सुचारू रूप से चल सके। वे भारतीयों को केवल निम्नस्तरीय सामान्य षिक्षा देना चाहते थे जिससे कोई भारतीय शासन मे उच्च पद पर प्रतिस्थित न हो सके, तथा वे आसानी से हमारे ऊपर शासन कर सके। भारतीय आधुनिक षिक्षा के विकास को निम्न चरणों मे हम विभाजित कर सकते है।

स्वतंत्रता पूर्व आधुनिक षिक्षा के विकास के लिए प्रयास–

ब्रिटिष ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों मे षिक्षा के उत्थान के लिए प्रयास नहीं किया। इन दिनों कुछ उदार अंग्रेजों, ईसाई मिषिनिरियों और उत्साही भारतीयों ने इस दिषा में प्रयास किए। सन् 1781 ई0 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने ''कलकत्ता मदरसा'' की स्थापना की जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। वारेन हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोंस ने 1778 ई0 में एषियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कियास गया जिसके द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास हुए। सन् 1791 में ब्रिटिष रेजीडेण्ट जोनाथन डंकन द्वारा बनारस मे हिन्दू कानून दर्षन हेतु संस्कृत कालेज की स्थापना की गई। सन् 1800 ई. मे लार्ड वेलेजली द्वारा फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना, कम्पनी के असैनिक अधिकारियों की षिक्षा के लिए किया गया। कलकत्ता मे विषप कालेज की स्थापना 1820 ई0 मे डेविड हेयर नामक एक अंग्रेज ने किया। भारत में षिक्षा के क्षेत्र मे प्रगति के लिए राजाराम मोहन राय, राधाकांत देव, महाराज तेडासेन चन्द्र, रायवहादुर, जयनारायण घोषाल इत्यादि ने अथक प्रयास किए। राजाराम मोहनराय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिन्दू कालेज की स्थापना की जो कालान्तर मे प्रेसीडेंसी कालेज बना। सन् 1813 ई0 मे चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय षिक्षा के विकास के लिए वास्तविक प्रयास किया। इस चार्टर एक्ट मे गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह एक लाख रूपये, साहित्य के पुनरोद्वार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए, तथा विज्ञान के आरंभ एवं उन्नति के लिए खर्च करें। भारत में षिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद कारण यह था कि कुछ लोग यह चाहते थे कि भारतीयों की षिक्षा का माध्यम प्राच्य हो तथा दूसरे चाहते थे कि भारतीयों का षिक्षा का माध्यम पाष्चात्य षिक्षा हो।

प्राच्य–पाष्चात्य विवाद को उग्र होते देख तात्कालीन ब्रिटिष गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिक ने अपने कौंसिल के विधि सदस्य लार्ड मैकाले को लोक षिक्षा समिति (बंगाल) का प्रधान नियुक्त किया तथा उन्हें भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण प्रस्तुत करने को कहा। 02 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना स्मरणार्थ लेख (Macaulay Minute) प्रस्तुत किया। मैकाले भारत मे अंग्रेजी षिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो परन्तु उसकी प्रवृत्ति, विचार और नैतिक मापदण्ड और प्रज्ञा अंग्रेजों जैसा हो, अर्थात् वह ब्राउन रंग का एक अंग्रेज चाहता था। गर्वनर जनरल वेंटिक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के रिपोर्ट को स्वीकार कर, आदेष दिया कि भविष्य मे कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करे तथा सभी खर्च इसी उद्देष्य से किए जाए। मैकाले को भारत में अंग्रेजी षिक्षा का जनक माना गया है। षिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन सिद्वांत का प्रतिपादन लार्ड ऑकलैण्ड द्वारा किया गया जिसमें सर्वप्रथम उच्च वर्ग को षिक्षित करने का प्रावधान था।

षिक्षा के विकास का दूसरा चरण लार्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट में भारत मे षिक्षा के विकास के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया। सर चार्ल्सवुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत में भावी षिक्षा के लिए वृहत्त योजना तैयार की जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर षिक्षा की नियामक पद्वति का गठन किया गया। चार्ल्सवुड के डिस्पैंच को, ''भारतीय षिक्षा का मैग्नाकार्टा (Magnacarta) कहा गया। चार्ल्सवुड डिस्पैंच के अनुसार सरकार पाष्चात्य षिक्षा, कला, दर्षन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। देषी भाषाई प्राथमिक पाठषालाए स्थापित किया जाए तथा उनके ऊपर (जिला स्तर पर) ऐंग्लो वर्नेकुलर हाईस्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाए। उच्च षिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो पर देषी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। षिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद्वति चलाने की योजना। अध्यापकों को प्रषिक्षित करने के लिए प्रषिक्षण संस्थानों की स्थापना किया जाए। महिला षिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। लंदन विष्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता मद्रास, बम्बई में तीन विष्वविद्यालय स्थापित करने की योजना जिसका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करना हो। लार्ड रिपन ने 1882 में w.w. Hunter (डब्ल्यू–डब्ल्यू हंटर) अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसका उद्देष्य 1854 ई0 के बाद षिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। षिक्षा के उत्तरोत्तर विकास के लिए विभिन्न विभिन्न षिक्षा आयोगों/समितियों का गठन किया गया जैसे कि– सन् 1902 में रेले कमीषन, सन् 1917 ई0 में सैडलर आयोग, सन् 1929 में हार्टोग समिति, सन् 1937 में गांधीजी द्वारा वर्धा योजना, सन् 1944 में सार्जेण्ट योजना इत्यादि।

स्वतंत्रता पूर्व आधुनिक भारत में गठित किए गए षिक्षा आयोग/समिति/योजना का तालिका के माध्यम से अध्ययन

आयोग/समिति	गठन का वर्ष	मुख्य संस्तुतिया	परिणाम
जेम्स टामसन योजना	1843	यह देषी भाषा द्वारा ग्रामीण षिक्षा की विस्तृत योजना थी।	अंग्रेजी भाषा केवल कालेजों तक सीमित रह गयी तथा षिक्षा विभाग का गठन किया गया।
वुड डिस्पैच	1854 ई0	कम्पनी के अधीनस्थ पांच प्रांतों मे जनअनुदेष के लिए एक विभाग खोला जाए। इसमें अन्य षिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम अंग्रेजी बताया गया।	1855 ई0 में जन अनुदेष विभाग तथा 1857 ई0 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में विष्व विद्यालय की स्थापना हुई।

हण्टर षिक्षा आयोग	1882–83ई0	इसकी सिफारिषें प्राथमिक तथा माध्यमिक षिक्षा तक ही सीमित थी। प्राथमिक षिक्षा स्थानीय भाषा में हो। निजी प्रयासो को अधिनियम प्रोत्साहन। नारी षिक्षा का पर्याप्त प्रबंध का निर्देष था।	पाश्चात्य ज्ञान के अतिरिक्त भारतीय व प्राच्य भाषाओं के पठन पाठन में विषेष रूचि देखने को मिली। 1882 ई0 मे पंजाब तथा 1857 ई0 में इलाहाबाद विष्वविद्यालय स्थापित किया गया।
रैले आयोग	1902 ई0	इसकी सिफारिसे विष्व विद्यालय षिक्षा तक सीमित थी। विष्वविद्यालयों को अध्ययन व शोध के लिए प्राध्यपकों की नियुक्ति करनी चाहिए। गवर्नर को विष्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निष्चित करने का अधिकार दिया गया है।	इस आयोग की संस्कृति के मद्दे नजर 1904 ई0 का भारतीय विष्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। जिसमे विष्व विद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया।
सैडलर आयोग	1917–19ई0	इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विष्वविद्यालय षिक्षा के अलावा महिला षिक्षा के लिए स्वायन्ता पूर्ण संस्थाओं की स्थापना तथा व्यावहारिक षिक्षा पर जोर दिया।	1912 ई0 से 1916 ई0 के बीच मैसूर पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ तथा उस्मानिया विष्वविद्यालय खोले गये।
हार्टोंग समिति	1929 ई0	इसने प्राथमिक षिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया परन्तु शीघ्र प्रसार अथवा अनिवार्यता की नीति की निन्दा की। इसने सुधार व एकीकरण की नीति की सिफारिष की थी।	इस समिति के सिफारिष के आधार पर 1935 ई0 में केन्द्रीय षिक्षा सलाहकार वोर्ड का पुर्नगठन हुआ।
सार्जेण्ट योजना	1944 ई0	इस योजना ने एक राष्ट्रीय षिक्षा योजना तैयार की 06–14 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक निःषुल्क तथा अनिवार्य षिक्षा का प्रबंध करने को कहा। इस योजना के तहत उच्चतर माध्यमिक श्रेणी समाप्त कर देनी थी।	ये सिफारिषें महत्वपूर्ण थी, पर इन्हें तात्कालिक स्थिति में लागू करना असंभव था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारतीय षिक्षा का विकास–

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद षिक्षा के क्षेत्र में व्यापक गुणात्मक सुधार की आवष्यकता भारत सरकार द्वारा महसूस की गयी। इसीलिए 1948–49 में उच्च षिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक ''भारतीय षिक्षा आयोग (राधाकृष्णन आयोग) नियुक्त किया गया। इसी आयोग की सिफारिष पर 1953 में विष्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की स्थापना की गई। सन् 1952 में माध्यमिक षिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए मुदालियर आयोग की स्थापना की गयी। 1964 में डॉ0 दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में ''कोठारी षिक्षा आयोग'' गठित किया गया। इसी आयोग के सिफारिष पर 1968 में राष्ट्रीय षिक्षा नीति तैयार की गयी, जो घनाभाव और इच्छा षक्ति के अभाव के कारण सन् 1986 में लागू की गयी। राष्ट्रीय षिक्षा नीति 1986 के प्रमुख प्रावधानों

के अनुसार 21वीं सदी की आवष्यकताओं के अनुरूप बच्चों में आवष्यक कौषलों तथा योग्यताओं का विकास करना था। एक गतिहीन समाज को ऐसा स्पन्दनषील समाज बनाना था, जो प्रतिबद्व हो, विकासषील हो, तथा परिवर्तनषील हो। सम्पूर्ण देष में षिक्षा का समान ढांचा लागू हो। राष्ट्रीय षिक्षा व्यवस्था में एक जैसी केन्द्रीय पाठ्यक्रम पर बल दिया गया। विद्यालयी षिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ही 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रषिक्षण एवं अनुसंधान परिषद् (NCERT) की स्थापना की गयी। षिक्षा पद्वति में गुणात्मक सुधार हेतु विभिन्न षिक्षा आयोगों/समितियों का गठन किया गया जैसे कि–आचार्य राममूर्ति समिति (1990), यषपाल समिति (1992) इत्यादि।

देश में षिक्षा की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार लाने एवं षिक्षा से वंचित बच्चों को, षिक्षा से जोड़ने के लिए 86वें सविंधान संषोधन विधेयक 2002 पारित किया गया। इस संषोधित अधिनियमि के द्वारा देष के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निषुल्क षिक्षा को, मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 में 21(क) के अंतर्गत जोड़ा गया। इस अधिनियम को प्रभावषाली बनाने के लिए सन् 2009 में, संसद द्वारा षिक्षा का अधिकार अधिनियम पास किया गया जिसे 1 अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण देष में कायीन्वित किया गया। आज प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है।

स्वतंत्रता पाष्चात् गठित षिक्षा आयोगों/समितियों का अवलोकन तालिका के माध्यम से

आयोग/समिति	गठन का वर्ष	मुख्य संस्तुतियां	परिणाम
राधाकृष्णन आयोग	1948–49 ई0	इस आयोग ने विष्वविद्यालय षिक्षा पर अपनी रिपोर्ट पेष की। इस आयोग के अनुसार विष्वविद्यालय से पूर्व 12 साल का अध्ययन होना चाहिए। सामान्य षिक्षा पर अधिक बल देना चाहिए। एक विष्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन होना चाहिए।	1953 में विष्वविद्यालय अनुदान आयोग (न्ळब) का गठन किया गया। विष्व विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 बना।
मुदालियर आयोग	1952–53 ई0	माध्यमिक षिक्षा के ढांचे में सुधार हेतु संस्तुतिया प्रेषित किया गया। पाठ्यचर्चा में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिष की।	उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की षिक्षा के पाठ्यक्रम में एक ब्वतम `नइरमबज (गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत इत्यादि) का समावेष
कोठारी षिक्षा आयोग	1964 ई0	इस आयोग ने षिक्षा पद्वति के लचीलेपन की आवष्यकता पर बल दिया। कार्य अनुभव तथा नैतिक षिक्षा पर बल दिया गया था।	इस आयोग की सिफारिषों को मद्देनजर रखते हुए 1968 में षिक्षा की राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गयी थी।
राष्ट्रीय षिक्षा नीति	1968	सामान्य रूप से देष के प्रत्येक भाग में षिक्षा का सामान ढांचा जो कि 10+2+3 पर आधारित हो, को लागू करना लाभप्रद होगा।	शिक्षा के लिए निवेष राषि में वृद्वि की गयी।
राष्ट्रीय षिक्षा नीति	1986	21वीं सदी आवष्यकताओं के अनुरूप बच्चों में आवष्यक कौषल तथा योग्यताओं का विकास करना।	राष्ट्रीय षिक्षा में केन्द्रीय पाठ्यक्रम का समावेष।
आचार्य राममूर्ति	1990	शिक्षा में मैड्यूल एवं सेमेस्टर पद्वति अपनायी	दक्षता विकास पर विषेष

समिति		जाये	ध्यान दिया जाने लगा।
यषपाल समिति	1992	शिक्षा को तकनीकी से जोड़ा जाये। उवाऊ एवं गुणवत्ता हीन परीक्षा प्रणाली को रूचिकर बनाया जाए।	प्राथमिक षिक्षा को रूचिकर बनाया गया।

निष्कर्ष–

आधुनिक भारतीय षिक्षा के विकास में स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिष सरकार की षिक्षा नीति यद्यपि दोषपूर्ण रही, फिर भी षिक्षा के विकास में उसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकारों (केन्द्र तथा राज्य सरकारें) ने षिक्षा के विकास के लिए सराहनीय योगदान दिया है तथा वर्तमान में षिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असंगतियों को दूर करने का अभिन्न प्रयास किए जा रहे है। इस शोध लेख के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि आधुनिक भारतीय षिक्षा का विकास के पथ पर निरंतर प्रगतिषील बनी हुई है। हमारी केन्द्र सरकार के द्वारा षिक्षा के अधिकार को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के साथ जोड़ना, अनुच्छेद 21(क) षिक्षा के महत्व को दर्षाता है। भारतीय षिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक स्तर पर सुधार की आवष्यकता है, ताकि षिक्षा गरिमामयी जीवनयापन में सहायक सिद्व हो सके, जिसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारें इसी दिषा में सतत् प्रयत्नषील है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1- Pandey Ram Shakal, Development strategics in Modern Indian education Kanishka Publication New Delhi 110002
2. प्रतियोगिता दर्पण जून/2016
3. भारतीय इतिहास लेखक नागेन्द्र प्रतापसिंह पंचम संस्करण 2003, किरण कम्पटीषन टाइम्स 1049, षिवनगर, अल्लापुर, इलाहाबाद।
4. भटनागर सुरेष (2002) आधुनिक भारतीय षिक्षा और उसकी समस्याएं और एल बुक डिपो मेरठ।
5. पाठक पी.डी. (2002) भारतीय षिक्षा और उसकी समस्याएं, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।

❑❑❑